स्वयं सहायता समूहः महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख माध्यम

कृषि कुंभ (मार्च, 2023),
खण्ड 02 भाग 10, पृष्ठ संख्या 73–75

स्वयं सहायता समूहः महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख माध्यम

सूरज अवस्थी, शिप्रा यादव, आकांक्षा सिंह एवं सुनील कुमार
कृषि विभाग, इंटीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत।
Email Id: surajavasthi95@gmail.com

परिचय

स्वयं सहायता समूह कुछ समान आय वर्ग के ऐसे लोगो का एक समूह होता है। जो किसी विशेष उदेश्य को पूरा करने के लिए बनाये जाते है, ये छोटे दृ छोटे समूह आपस में एक दूसरे की सहायता के लिए ही बनाये जाते है, समूह में सभी सदस्य अपनी मर्जी से शामिल हो सकते है। ये किसी अन्य के ऊपर निर्भर नही रहते है, बल्कि ये अपनी सहायता स्वयं (खुद) करते है। जैसा कि इसका नाम है, स्वयं सहायता यानि जो अपनी सहायता खुद करते है। इस प्रकार के समूह में 10 से 20 सदस्य होते है, ये सभी सदस्य स्वेछा से इसमें शामिल हो सकते है।इसमें चयनित सभी सदस्य एक समान आय वर्ग के होते है। महिला स्वयं सहायता समूह में महिलाएं को शामिल किया जाता है। इसमें सभी सदस्यों द्वारा मासिक आधार पर एक बराबर राशि तय की जाती है, जिसे पदाधिकारियों के पास जमा को अपने रजिस्टर में दर्ज करते है। उसके बाद उस बचत को अपने नजदीकी बैंक में जमा करते है। जहाँ उन्होंने समूह के नाम से बचत खाता खुलवाया है। बचत खाते का संचालन समूह के पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है।समूह के किसी भी तीन सदस्यों को पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। जो समूह का संचालन करते है। किसी भी लेन देन का ब्यौरा रखते है। बैंक द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण भी लिया जाता है।

स्वयं सहायता समूह क्या है?

आपस में अपनापन रखने वाले एक समान अति सूक्ष्म व्यवसाय एवं उद्यम चलाने वाले गरीब लोगों का एक ऐसा समूह है, जो अपनी आमदनी से सुविधाजनक तरीके से कुछ बचत करते है। जमा इस छोटी–छोटी बचत को समूह के सम्मिलित फण्ड में शामिल करते रहते है, और उसे समूह के ही सदस्यों को उनकी जरुरत के हिसाब से (उत्पादक और उपभोग जरूरतों) समूह की शर्तो एवं तय ब्याज, अवधि पर दिए जाने के लिए आपस में सहमत होते है। यानि समूह के सदस्य अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा प्रति माह समूह में जमा करते है। जमा राशि में से ही जरूरतमन्द सदस्य को समूह की शर्तो पर ऋण दिया जाता है।

योजना का नाम	स्वयं सहायता समूह।
लोकेशन	सम्पूर्ण भारत (ग्रामीण क्षेत्र)
योजना की शुरुआत	2007
आधिकारिक वेबसाइट	https://nrlm.gov.in/

स्वयं सहायता समूह का टोल फ्री नंबर	1800-180-5999
सदस्यों की संख्या	10 से 20 सदस्य होने चाहिए
SHG Full form	SELP HELP GROUP (स्वयं सहायता समूह)

स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य

- सरकार द्वारा ग्रामीण भारत के ऐसे गरीब लोगों का उद्धार करना है, जो अपनी गरीबी मिटाने लिए एक मजबूत इच्छाशकित रखते है। जिनके अंदर कुछ कर गुजरने के लिए भरपूर क्षमताएं भी हैं।
- सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रो के ग्रामीण समाज की गरीब महिलाये व परिवार अपने जीवन स्तर में सुधार के साथ दृ साथ उनमे सामाजिक एकजुटता की भावना को जागृत हो। इसके अलावा वह एक मजबूत संगठन के रूप में विकसित हो। उनकी वास्तविक क्षमता को उनके जागृत करना है।
- महिलाओं में जागरूकता फैलाना, उनकी स्किल का विकास करना, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करना आदि सभी उदेश्य स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पुरे किये जा सकते है।
- ग्रामीण गरीब परिवारों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध करवाना। जिससे उनकी मुलभुत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य

- गरीब लोगों के बीच नेतृत्व क्षमता का विकास करना
- स्कूली शिक्षा में योगदान करना
- पोषण में सुधार करना
- जन्म दर में नियंत्रण करना

स्वयं सहायता समूह के नियम व शर्ते

- समूह कम से कम 6 माह से सक्रीय रूप से संचालित होना चाहिए।
- समूह के सदस्यों द्वारा समूह में निरंतर मासिक बचत अपने पास उपलब्ध संसाधनों से जमा क हो।
- समूह द्वारा अपने पास जमा राशि से सदस्यों को ऋण दिया हो।
- खाते का पूरा लेखा जोखा रखा गया हो। किसी भी सदस्य को दिया गया ऋण या जमा की गयी मासिक बचत राशि को पूरा विवरण एक रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए।
- समय समय पर साप्ताहिक या मासिक आधार पर बैठक की जा रहे हो। जिसका विवरण मीटिंग रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए।
- समूह में लोकतान्त्रिक तरीके से कार्य हो रहा हो। सभी सदस्यों की सहभागिता रही हो एवं सभी की बात भी सुनी जा रही हो।
- समूह का उदेश्य एक दूसरे की मदद करना व स्वरोजगार का होना चाहिए न कि बैंक से केवल ऋण लेने के लिए रहा हो।
- बैंक द्वारा ऋण देने के समय इन सभी बिंदुओं को बारीकी से देखा जाता है। बैंक अधिकारी ध शाखा प्रबंधक इस बात से संतुष्ट हो कि समूह का उदेश्य वास्तविक स्वरोजगार व एक दूसरे की सहायता करना है। बैंक ऋण आवेदन फार्म पर एक रेटिंग टेबल होती है, उसमें उन्ही एक निश्चित नंबर प्राप्त होने पर ही ऋण के लिए पात्र होते है।
- सभी सदस्य एक हित एवं पृष्टभूमि के होने चाहिए। यानि सभी सदस्य जो भी सूक्ष्म व्यवसाय कर रहे है उस ग्रुप में एक ही व्यवसाय से संबधित होने चाहिए। जैसे दृ दूध बचने का हो तो सभी उसी संबधित होने चाहिए। और यदि सिलाई का कार्य करते है तो सभी सिलाई का कार्य करते हो।

- स्वयं सहायता समूह सदस्य बनने के मुख्य बिंदु
- समूह में अति गरीब व गरीब महिला या गरीबी रेखा से नीचे (इचस) परिवार की महिलाओं को इसमें शामिल किया जाता है।
- समूह में शामिल होने वाली महिलाओं की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शामिल सदस्य महिला को स्वयं सहायता समूह हेतु चिन्हित होना चाहिए।
- समूह के सदस्यों द्वारा प्रत्येक माह कुछ राशि जमा की जाती है। इसीलिए इसके लिए ऐसे सदस्यों का होना भी जरुरी है, जो समूह सदस्यों की सहमति से निर्धारित न्यूनतम राशि जमा करने में सक्षम होनी चाहिए। जिससे व मासिक अंशदान कर सके।
- समूह के लिए ऐसी महिलाओ को शामिल किया जायेगा, जो जरुरत पढ़ने पर सामूहिक कार्य करने के लिए इच्छुक हो।
- शामिल महिला सदस्य को समय समय पर होने वाली समूह की बैठक में शामिल होने के लिए समय देना चाहिए।
- समूह में 10 से 20 महिला सदस्य होनी चाहिए।

स्वयं सहायता समूह के लाभ

- विगत कुछ वर्षों में देखा जाए तो इसमें महिलाएँ बढ़–चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं जिससे समाज में उनकी स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।
- स्वयं सहायता समूहों के सदस्य अपने नियमित बचत से एक कोष बना लेते हैं और उस कोष का उपयोग आपातकालीन स्थिति में अपने सामूहिक उद्देश्य के कार्य हेतु करते हैं।
- स्वयं सहायता समूह अपने कोष के पैसे से ग्रामीण आधारित सूक्ष्म या लघु उद्योग की शुरूआत भी करते हैं जिससे रोजगार के नये अवसर सृजित होते हैं।
- इन समूहों में से ही किसी को नेतृत्व दे दिया जाता है जो सारे प्रबंधन का कार्य करता है।
- इन समूहों को बैंकों द्वारा धन दिया जाता है, जिससे वित्तीय लेन–देन में आसानी होती है।
- स्वयं सहायता समूहों के निर्माण होने से दूसरे संस्थानों पर वित्तीय निर्भरता कम हो जाती है।

निष्कर्ष

भारतीय अर्थव्यवस्था में दहाई की गति प्राप्त करना तथा निरंतरता बनाए रखना बहुत ही महत्त्वाकांक्षी प्रतीत होता है, आज के बदलते भारत में आवश्यकता है कि विभिन्न महत्वपूर्ण चुनौतियों, जैसे सभी राज्यों में संतुलित समान आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव, आगामी पीढियों के मद्देनजर मानव–हित में पर्यावरणीय संरक्षण एवं संतुलन बनाते हुए 2030 तक समावेशी एवं सतत विकास के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से रणनीतिक तौर पर प्राप्त किया जाये। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र, गैर–सरकारी संस्थाएँ एवं स्वयं सहायता समूह अपने एकीकृत प्रयास से ग्रामीण भारत की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य समस्याओं का समाधान एवं प्रबंधन के बेहतर तरीके सहायक हो रहे हैं।

उपरोक्त सभी पहलुओं पर गौर करने और समझने के बाद यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण भारत के सामजिक–आर्थिक विकास में गैर–सरकारी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों एवं निजी क्षेत्र की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये सभी संस्थाएँ अपनी विभिन्न सामाजिक गतिविधियों और कार्यों से नए भारत के निर्माण में तथा विभिन्न सामाजिक विषमताओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव, भ्रष्टाचार एवं महिला एवं बाल उत्पीड़न इत्यादि को जन आंदोलन एवं भागीदारी से दूर करने में सरकार व समाज को अपना बहुमूल्य योगदान दे सकती हैं।